

अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 12/01/2021 को अपरान्ह 1.00 बजे भारतनेट प्रोजेक्ट/नेशनल ब्राडबैण्ड मिशन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ब्राडबैण्ड कनेक्टिविटी के सम्बन्ध में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त:-

उपस्थिति:- संलग्नानुसार।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये सर्वप्रथम बीएसएनएल द्वारा ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने के कार्य की प्रगति से अवगत कराया गया। तद्पेरान्त पूर्व निर्धारित एजेन्डा के अनुसार बैठक में विचार-विमर्श कर निम्न निर्देश दिये गये:-

- 1- ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुचाने के कार्य की प्रगति- श्री अशोक रावत, दूरसंचार विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विगत 3 माह में लगभग 5000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है तथा 700 नये ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है। योजना के प्रथम चरण में यूपी-ईस्ट और यूपी-वेस्ट में कार्य लगभग पूर्ण हो गया है तथा यूपी-ईस्ट में 33 एवं यूपी-वेस्ट में 76 ग्राम पंचायतों का कार्य अभी शेष है। यूपी-ईस्ट में 42000 कि०मी० ऑप्टिकल फाइबर में से 20000 कि०मी० ऑप्टिकल फाइबर बिछा दी गई है। यूपी-ईस्ट के 17032 में से लगभग 2700 ग्राम पंचायतों में जीपान (गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क) स्थापित कर दिया गया है। यह पाया गया कि कार्य में प्रगति तो है परन्तु निर्धारित समय-सीमा मार्च 2021 से कुछ अधिक समय लगेगा। यूपी वेस्ट की द्वितीय चरण की डीपीआर अभी भारत सरकार से अप्रूव नहीं हुई है। अवशेष कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने तथा बीबीएनएल के प्रतिनिधि को सभी पक्षकारों से समन्वय स्थापित कर पूरे प्रदेश की समेकित प्रगति रिपोर्ट एकत्रित कर प्रत्येक माह की पांच तारीख को प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को एवं यूपीएलसी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
- 2- लास्ट माइल कनेक्टिविटी के सम्बन्ध में- योजना के अन्तर्गत FTTH (फाइबर टू द होम) कनेक्शन उपलब्ध कराने की प्रगति के सम्बन्ध में सीएससी-एसपीवी के द्वारा अवगत कराया कि प्रथम चरण में यूपी ईस्ट एवं यूपी वेस्ट में उन्हे लगभग 27000 ग्राम पंचायतों का कार्य आवंटित हुआ है जिसमें मेन्टीनेन्स एवं FTTH कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य सम्मिलित है। यूपी ईस्ट में 17000 ग्राम पंचायतों में से 8500 ग्राम पंचायतों में ब्राडबैण्ड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराया जा रहा है। 1500 ग्राम पंचायतों में शीघ्र ब्राडबैण्ड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जायेगी। यूपी-ईस्ट के 7128 ग्राम पंचायतों में फाइबर केबिल में फाल्ट है जिसमें बीएसएनएल को 4658 को एवं 2528 बीबीएनएल को सही करना है जिसके उपरान्त ही कनेक्शन प्रदान किया जाना सम्भव हो सकेगा। यूपी-वेस्ट में 17000 ग्राम पंचायतों में से लगभग 8500 ग्राम पंचायतों में ब्राडबैण्ड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराया जा रहा है। यूपी-वेस्ट में 10000 ग्राम पंचायतों में से लगभग 6600 ग्राम पंचायतों में ब्राडबैण्ड कनेक्टिविटी उपलब्ध करायी जा रही है एवं लगभग 1000 ग्राम पंचायतों में शीघ्र ब्राडबैण्ड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जायेगी। अवशेष ग्राम पंचायतों में बीबीएनएल के स्तर से 968 एवं बीएसएनएल के स्तर से 1097 ग्राम पंचायतों में फाइबर केबिल फॉल्ट है जिसे ठीक करने के उपरान्त ही कनेक्शन प्रदान किया जाना सम्भव हो सकेगा। बीबीएनएल को निर्देशित किया गया कि सुचारु रूप से संचालित यूपी-ईस्ट के 8500 तथा यूपी-वेस्ट के 6600 ग्राम पंचायतों की जिलावार एवं ब्लाकवार सूची प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को को उपलब्ध कराये, जिससे जिलाधिकारियों को उक्त विवरण प्रेषित कर उनका अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित कराया जा सके।

योजना के अन्तर्गत FTTH कनेक्शन उपलब्ध कराने की द्वितीय चरण के सम्बन्ध में बीबीएनएल के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि बीएसएनएल द्वारा 07 साल तक नेटवर्क का अनुरक्षण एवं ब्राडबैण्ड

का यूटिलाइजेशन कराना है। बीबीएनएल द्वारा विकास खण्ड से ग्राम पंचायत तक फाइबर केबल बिछा दी जाती है तत्पश्चात लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिये बीएसएनएल, सीएससी एसपीवी आदि कोई भी संस्था कार्य कर सकती है, परन्तु किसी भी संस्था द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है। बीएसएनएल के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि द्वितीय चरण के लास्ट माइल कनेक्टिविटी के सम्बन्ध में उनके स्तर से कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। सीएससी-एसपीवी के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी संस्था को इसका कायदेशि नहीं मिला है।

मुख्य सचिव महोदय के स्तर से सचिव, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार को पत्र प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये जिसमें यह अवगत कराते हुये कि भारतनेट योजना की समीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि फेज 1 के यूपी-ईस्ट के 7165 ग्राम पंचायतों एवं यूपी-वेस्ट के 2065 ग्राम पंचायतों में फाइबर केबल के खराब होने के कारण उन ग्रामों में ब्राडबैण्ड कनेक्टिविटी की सुविधा नेशनल ब्राडबैण्ड मिशन के अन्तर्गत नहीं दी जा रही है। उक्त के अतिरिक्त यूपी वेस्ट के 27 जिलों के 36 ब्लॉक में अभी प्रोजेक्ट की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है। योजना के द्वितीय चरण में लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु संस्थाओं के सम्बन्ध में निर्णय भारत सरकार स्तर पर लम्बित है जिससे द्वितीय चरण में स्थापित किये गये/किये जाने वाले ग्राम पंचायतों में ब्राडबैण्ड कनेक्टिविटी सुविधा का उपयोग हो सके।

3- **आरओडब्ल्यू से सम्बन्धित प्रकरण-** आरओडब्ल्यू के सम्बन्ध में यूपीएलसी द्वारा अवगत कराया गया कि आरओडब्ल्यू पोर्टल पर 3350 आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिसमें से 08 आवेदन स्वीकृत हुये हैं, काफी संख्या में अस्वीकृत हो गये हैं तथा बहुतायत में लम्बित है। मुख्य समस्या यह है कि जिस भवन पर मोबाइल टावर लगाया जाना है उसका स्ट्रक्चरल सेफ्टी प्रमाणपत्र होते हुये भी उक्त का नक्शा सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/संस्था से पास होना अनिवार्य है, परन्तु भवन काफी पुराने हैं, जिस कारण उनका नक्शा नहीं है जिसके कारण पेंडेन्सी बनी हुई है। अन्य राज्यों में इस सम्बन्ध में व्यवस्था के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि हरियाणा में भवन के अनुमोदित नक्शे की मांग नहीं की जा रही है। अवगत कराया गया कि आरओडब्ल्यू सर्टिफिकेट का शासनादेश हो गया है, बैठक में उक्त की प्रति उपलब्ध करायी गयी। निर्देशित किया गया कि उक्त की प्रति टाइपा एवं यूपीडेस्को को उपलब्ध करा दिया जाये एवं वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया जाये। यह भी अवगत कराया गया कि आवास विभाग द्वारा जोनल रेगुलेशन एवं विलडिंग बाइलाज में डिस्कपेन्सी के समाधान हेतु शासनादेश जारी करने का कार्य प्रक्रियाधीन है। उक्त के अतिरिक्त रिकरिंग चार्जेज के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि भारत सरकार की एक्ट के अनुसार रु. 10,000.00 मात्र की फीस आवेदन के साथ दी जानी है, जो सम्बंधित लोकल बाडी को देय है।

टाइपा के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है अन्य राज्यों में उनके द्वारा स्ट्रक्चरल सेफ्टी प्रमाणपत्र अनिवार्य होता है जो प्रस्तुत किया जाता है। अन्य राज्यों में भवन का नक्शा जमा करना अनिवार्य नहीं होता है। पुराने लोकलटी या भवनों का नक्शा उपलब्ध नहीं होता है जिसके अधिकतम स्थानों पर नक्शा उपलब्ध नहीं हैं। उ.प्र. में नक्शा जमा करना अनिवार्य किया गया है जिसके कारण अधिकतम केस लम्बित है। उनके द्वारा नक्शा जमा करने की अनिवार्यता समाप्त करने का अनुरोध किया गया। टाइपा के प्रतिनिधि से अन्य बड़े राज्यों जहां पर नक्शा नहीं मांगा जाता है, के बाईलाज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया जिससे प्रकरण पर विचारोपरान्त निर्णय लिया जा सके।

उक्त के अतिरिक्त टाइपा के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया कि काफी आवेदनों पर अथारिटीज द्वारा पालिसी के अनुसार देय रू. 10,000.00 के अतिरिक्त वार्षिक देय एवं अन्य देयों का भुगतान किये जाने की मांग की जा रही है जिसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं हो रहे हैं। अन्य राज्यों में शासकीय भवनों/स्थान पर वार्षिक चार्जेज सर्किल रेट पर निर्धारित दर के अनुसार भुगतान करना पड़ता है। प्राइवेट प्रापर्टी पर प्रापर्टी ओनर से तय किये दर के अनुसार भुगतान किया जाता है। अनुरोध किया गया कि उत्तर प्रदेश में मांगे जा रहे देयों एवं अन्य राज्यों में प्रचलित देयों के सम्बन्ध में तुलनात्मक विवरण श्री प्रवीण कुमार, उप महाप्रबन्धक (नीओप्रओ), यूपीएलसी के ई-मेल praveenuplc@gmail.com पर उपलब्ध करा दें, जिससे विचारोपरान्त अग्रिम कार्रवाई की जा सके।

सीओएआई के प्रतिनिधि डा. जेना द्वारा प्रदेश में आरओडब्ल्यू की परमीशन प्राप्त नहीं होने तथा लेईंग चार्जेज अधिक होने से अवगत कराया गया। डा. जेना से फाइबर लेईंग की पेंडेन्सी का डिटेल, अन्य राज्य जहां पर इस सम्बन्ध में अच्छा सिस्टम लागू है, उसकी डिटेल एवं लेईंग चार्जेज के सम्बन्ध में विवरण प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये जिससे विचारोपरान्त निर्णय लिया जा सके। डा. जेना से आरओडब्ल्यू की परमीशन हेतु निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन कराने हेतु अवगत कराया गया। यह निर्देश दिये गये कि इन बिन्दुओं पर चर्चा कर निर्णय हेतु आवास विभाग तथा नगर विकास विभाग के साथ शीघ्र एक बैठक बुलायी जाये।

4- आरओडब्ल्यू आवेदनों का डीमंड अप्रूवल प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में- दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधि द्वारा आवेदनों को आरओडब्ल्यू नियमों के अनुसार 45 दिन या निर्धारित समय सीमा में निस्तारित करने का अनुरोध किया गया।

5- राज्य द्वारा अंगीकृत वर्तमान आरओडब्ल्यू 2016 की पालिसी में ओवरहेड ओएफसी क्लाज का सम्मिलित किये जाना तथा देय चार्जेज (प्रति पोल प्रतिवर्ष) को युक्तियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में- सीओएआई के प्रतिनिधि डा. जेना द्वारा प्रदेश में ओवरहेड ओएफसी हेतु प्रति पोल प्रतिवर्ष रू.1100 चार्जेज लिये जा रहे हैं, उक्त चार्जेज को युक्तियुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया। उन्हें सूचित किया गया कि उक्त चार्जेज विचारोपरान्त निर्धारित किये गये हैं।

6- ग्राम एवं हेमलेट के मास्टर डाटा में आंशिक विसंगति- उक्त के निराकरण हेतु प्रमुख सचिव, नियोजन से वार्ता कर अनुरोध किया गया कि प्रकरण का निराकरण सम्बंधित पक्षों की एक बैठक बुलाकर यथाशीघ्र करायें।

7- जिला लेबिल मॉनिटरिंग कमेटी के गठन हेतु शासनादेश निर्गत कराने के सम्बन्ध में- शीघ्र जिला लेबिल मॉनिटरिंग कमेटी के गठन हेतु शासनादेश निर्गत कराने का निर्देश दिया गया।

अन्त में धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक सम्पन्न हो गई।

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1
संख्या:-214/78-1-2021-2440/2020
लखनऊ: दिनांक: 29 जनवरी, 2021

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
नियोजन विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग,
लोक निर्माण विभाग एवं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
2. सलाहकार/Sr. DG of DoT of the UP (East) & UP (West) LSAs,
दूर संचार विभाग, भारत सरकार-(सदस्य संयोजक)
- ✓ 3. CGM BSNL UP (east) and UP(West) telecom Circle
4. CGM BBNL-State Head UP (east) & UP (West)
5. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।
8. निवेश मित्र पोर्टल टीम (उद्योग बन्धु), लखनऊ।
9. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. निजी सचिव, विशेष सचिव (आर०/एन०), आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11. राज्य समन्वयक, सेंटर फार ई-गवर्नेन्स, उ.प्र.।
12. हेड, एसईएमटी, लखनऊ।
13. श्री अतुलित राय, स्टेट हेड, सीएससी-एसपीवी, जनसेवा केन्द्र, लखनऊ।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(बराती लाल)
संयुक्त सचिव

अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता
भारतनेट प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक दिनांक 12-01-2021 को अपरान्ह 01:00 बजे
आहूत बैठक में उपस्थित अधिकारीगण:-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल नं0/ ई-मेल आईडी	हस्ताक्षर
1	A. K. Srivastava	Sr. DDG UPWEST	Deptt of Telecom.	9416005111 srddg.upw-dgt-dot@gov.in	
2	POORAN MAL	DDG UPE LSA	---	ddgrl.upe-dot@gov.in	
3	A.K. Mishra.	Director(R-1) DOT, UPE LSA LKO.	DOT.	9415011900 dirsl.upe-dgt-dot@gov.in	
4	A. Siddiqui	Dir (R-2) DOT, UPE LSA	DOT	911346436 dirsrsl.2.upe-dot@gov.in	
5	S.S. Pandey	Asst. Director General DOT, UPE LSA, LKO	DOT	7007890898 adgen.upe-dgt-dot@gov.in	
6	Arvind Kumar Verma	Joint Director Planning Department	Planning Department	9454468894	
7	प्रमोद यादव	मो प्रो (नॉकट)	व. एस. ए. ए. ए.	9435713544 gmofn.ape@gov.in	
8	K. MOHAN	Architect Planner	TCPD Town & Country Planning Deptt	9897716216	
9	G. P. SINGH	ASIO, NIC	NIC	9415085934	
10	Arvind Mishra	TD	NIC	9415495993	
11	POORAN KUMAR	DGM	UPLC	9235567201	
12	विशेष सचिव	विशेष सचिव	PLD	9451591448	

क. सं.	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल नं० / ई-मेल आईडी	हस्ताक्षर
13	R. S. Singh	प्रभाती एस वी के फय	यूज/से-मो	singhrama shankare@yahoo.com 9335075943	RSSY
14	Sumit Gupta	Consultant	UPDero	Consultant updero @gmail.com	Sumit
15	Ajay Gangwar	SE IDS	UPPMD	9453602911 ajayng@gmail.com	A
16	Gurjesh Kumar	Under Secretary	Panchayat Ti Pori	9455412074	42
17	Shivani Mishra	IT consultant	Panchayat Maj Department	6398672087	4
18	Dr. Sunil Kr. Yadav	Dy Director	Directorate of Urban Local Bodies	9453014733	4
19	धर्मेश कुमार शर्मा	अनुसन्धित	आवास एवं शहरी विकास विभाग	9454413326	4
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					